

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव
पत्रांक 4229/14-1 दिनांक, 07 फरवरी, 2022

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल, उ०प्र०,
लखनऊ।

विषय:- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे० आरक्षित तथा 6.4218 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूं में प्रभावित 4.9257 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे० संरक्षित एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 136 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार की पत्र सं०-8बी/यूपी/06/295/2021/एफसी/643 दि०-17.01.2022 तथा मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय की पत्र सं०-2142/11-सी-एफपी/यूपी/रोड़/144793/2021 दि०-18.01.2022।

महोदय,


उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	E.D.S.	कार्यवाही की स्थिति
1.	As per Part II area of PF is coming as 30.6453 ha while as per details provided in the proposal it is 30.8224.	उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत 6.4218 हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है जो प्रस्ताव में दर्शित क्षेत्रफल के सामान है।
2.	Tree felling in Amroha and Pratapgarh district is mismatching with details of Part-II uploaded and the details provided in proposal.	उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
3.	An abstract of tree felling in all the districts needs to be provided.	<u>संलग्नक-01</u> के रूप में संलग्न है।
4.	No objection certificate of concerned departments (Irrigation and Railways) needs to be submitted.	याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सिंचाई विभाग की एनओसी प्राप्त हो गयी है, जिसे पार्ट-2 के अतिरिक्त अभिलेखों में अपलोड किया जा रहा है। रेलवे विभाग की एनओसी के लिए आवेदन किया गया है, जो प्राप्त होते ही उपलब्ध करायी जायेगी। यूपीडा की तरफ से उनको उपलब्ध कराने की अण्डर टेकिंग पूर्व में दी जा चुकी है, जो परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 के अतिरिक्त अभिलेखों में अपलोड है।

	Revised NPV calculation as per order dated 06-01-2022 needs to be submitted	संशोधित एनपीवी की गणना <u>संलग्नक-02</u> के रूप में संलग्न है।
6.	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्ग के दोनों तरफ 8-12 फुट पौध रोपण हेतु कुल 126.0 हे० क्षेत्र में रोपण हेतु 8,40,42,000.00 की धनराशि प्रस्तावित की जा रही है, जिसे एडीशनल डिटेल में अपलोड किया गया है। <u>संलग्नक 3 के रूप में</u>
7.	As per part-II of the proposal, under Social forestry Division Allahabad and Social Forestry Division Bulandshahar. It is mentioned at column no.10. "Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project: NIL"	उन्नाव वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
8	CA scheme and site suitable certificate for CA in DDFL has to be provided.	चित्रकूट वन प्रभाग में आवंटित 62.0 हे० डीडीएफएल वन भूमि हेतु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र तथा वृक्षारोपण योजना आनलाइन प्रस्ताव के एडीशनल डिटेल में अपलोड किया गया है।
9	Why RF cannot be avoided, proper justification needs to be provided.	याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उ०प्र० के मैदानी भागों में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् प्रत्येक राजस्व ग्रामों में कुछ भूमि ग्राम समाज को एवं कुछ भूमि वन भूमि के रूप में आवंटित की गयी थी, जिसे कालान्तर में सरकार ने आरक्षित वन के रूप में नोटीफाई किया। इस प्रकार अधिसंख्य ग्रामों में यत्र-तत्र छोटे-बड़े टुकड़ों में वन भूमि आ जाती है। गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में इन्हीं ग्रामों में आ रही वन भूमि प्रभावित हो रही है, जो कि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।
10	As per the kml File the proposed area for diversion is 50.29 ha., but as per the proposal diversion area is 121.4716 ha., mismatching of the forest area, needs clarification/rectification.	उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत 61.3621 हे० आरक्षित तथा 6.4218 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 67.7839 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है। जिसके केएमएल फाइल का मिलान करते हुए सुधार कर लिया गया है।
11	Kml file of the complete route proposed for diversion (Forest area as well as Non Forest area) needs be submitted.	याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में प्रभावित वन भूमि के वन क्षेत्रों एवं गैर वन क्षेत्रों की केएमएल फाइल परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।
12	kml file of alternate routes needs to be submitted.	याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवेश पोर्टल पर अल्टरनेट्स राउट्स की केएमएल फाइल को अपलोड करने का प्राविधान नहीं है। अतः उसकी केएमएल फाइल की सी०डी० उपलब्ध करायी जा रही है।
13	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 94.78 ha.,	उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत 61.3627 हे० गैर वन भूमि प्राप्त हुई है जिसके डीएसएस एनालिसिस के उपरान्त 61.3597 हे०

	which is less than the actual required CA land area.	भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध है। जो लगभग समतुल्य है।
14	As per the Geo-referenced map of the proposed CA land, GPS "point id" is not mentioned in the Haripur Village and Purthiyawan village. This needs rectifications.	पुरथ्यावां ग्राम के जियो रिफ्रेन्स मैप में जीपीएस आईडी को अंकित करते हुए पार्ट-1 में याचक विभाग द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
15	As per the kml file some CA land polygons have been found in scattered forms and also not contiguous to the forest area. There are 44 patches proposed CA which are of area of area less than 1 ha. Patches need to be in consolidated form.	उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत यूपीडा द्वारा 09 ग्रामों में कुल 61.3627 हे० गैर वन भूमि उपलब्ध करायी गयी है। ग्राम ताल्ही, पुरथ्यावां तथा रूपरु में जो टुकड़ों में भूमि उपलब्ध करायी गयी है वह वन ब्लाकों की बाउन्ड्री से सटे हुए हैं।
16	Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.	याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सीए लैण्ड का जियो रिफ्रेन्स केडस्ट्रल मैप उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 में अपलोड किया जा रहा है।
17	The proposed CA land patch of Unnao district (Village-Katholi) is partially overlapped with the area proposed for diversion, this needs rectification.	ग्राम-कैथोली के सी.ए लैण्ड की केएमएल फाइल का सुधार कर लिया गया है।
18	Component wise breakup of land required for construction of bridges, underpass, public utility center, toll plaza, Covers over River/ Canals/ Nalas, Pulia, Flyover & Interchanges etc. needs to be provided.	याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित सूचना परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 के अतिरिक्त अभिलेख में अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार तथा यू०पी० डा०
द्वारा उपलब्ध करायी पत्रावली
4-4 प्रतियां में।

भवदीया,

(ईशा तिवारी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव
13

पत्रांक / समदिनांक

प्रतिलिपि:- उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र०, एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ईशा तिवारी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव